राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 मई, 2010/7 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 मई, 2010

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–11/2010–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25–05–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 8) को

वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं)

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव ।

2010 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 25 मई, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 7,8,13,16,20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422, और 426 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422, और 426 में, "पार्षद" शब्द जहां–जहां आता है के स्थान पर "महापौर, उप–महापौर और पार्षद" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "पार्षद" शब्द के स्थान पर "महापौर, उप–महापौर और पार्षद" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(च) वह राज्य सरकार की राय में बिना युक्तियुक्त हेतुक के वार्ड समिति की तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकें आयोजित करने में विफल रहा है । " ।

नई धारा 34–क का अंतःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"34-क. **महापौर और उप–महापौर का हटाया जाना.–**सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महापौर और उप–महापौर को हटा सकेगी यदि उसकी राय में–

(i) धारा 8 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है; या

(ii) उसने महापौर या उप–महापौर के रूप में अपने पद का घोर दुष्प्रयोग किया है या वह लापरवाही या अतिचार द्वारा निगम के किसी धन या सम्पत्ति के दुर्विनियोजन या हानि के लिए उत्तरदायी है; या

(iii) वह महापौर या उप–महापौर के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए शारीरिक या मानसिक रूप में असमर्थ हो गया है; या

(iv) वह तीन क्रमवर्ती मास के दौरान निगम की बैठकों से अनुपस्थित रहता है :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, यथास्थिति, महापौर, उप–महापौर को सुनवाई का, और ऐसे आदेश के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।" ।

धारा 36 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 36 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) महापौर और उप–महापौर नगर निगम के समस्त वार्डों के समस्त पात्र निर्वाचकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा सीधे (प्रत्यक्षतः) निर्वाचित किए जाएंगे ।" ;

(ख) विद्यमान प्रथम परन्तुक में, "महापौर का पद" शब्दों के स्थान पर "निगम की अवधि के दौरान महापौर और उप–महापौर का पद" शब्द रखे जाएंगे ।; और

(ग) उपधारा (2) और विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) निगम के महापौर और उप–महापौर के पद की अवधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगाः

परन्तु यदि महापौर और उप–महापौर का पद रिक्त हो जाता है या अवधि के दौरान मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति की अवधि से छह मास के भीतर उसी वर्ग में से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा । " ।

धारा 37 का लोप ।

7. मूल अधिनियम की धारा 37 का लोप किया जाएगा ।

धारा 39 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 39 में,–

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि उप–महापौर का पद रिक्त है तो महापौर अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि महापौर का पद रिक्त है, तो उप–महापौर अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।" ; और

(ग) उपधारा (3) में, "या उप महापौर" शब्दों के पश्चात् "या उपायुक्त" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धाराएं 44–क से 44–ञ तक का अन्तःस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 44 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"44–क. वार्ड सभा.–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वार्ड के निर्वाचक नामावली में समाविष्ट समस्त व्यक्तियों से वार्ड सभा गठित होगी ।

44–ख. वार्ड सभा की बैठकें.–(1) वार्ड सभा की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी । बैठक, कार्यसूची सहित लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचित वार्ड पार्षद् द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(2) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला अधिकारी वार्ड सभा का सचिव होगा । वार्ड सभा की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसके द्वारा, यथास्थिति, आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी ।

44–ग. वार्ड समिति.–(1) नगर पालिका के गठन के छह मास के भीतर गठित की जाने वाली नगर निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति एक अध्यक्ष और वार्ड सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले नौ से अनधिक विख्यात सदस्यों से गठित होगी ।

(3) उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित वार्ड पार्षद्, वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा :

परन्तु वार्ड समिति के सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वार्ड सभा के "विख्यात सदस्य" से सिविल सोसाइटी के किसी वर्ग जैसे कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, कारबार, व्यापार आदि के क्षेत्रों में कार्यरत या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन या किसी संगम या समुदाय आधारित संगठन का कोई व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि अभिप्रेत है ।

(4) कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन वार्ड समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने के लिए या इस प्रकार निरन्तर बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वह निगम के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निर्रहित है ।

(5) वार्ड सभा का सचिव, वार्ड समिति का सचिव भी होगा । वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उस द्वारा निगम को अग्रेषित की जाएगी ।

(6) वार्ड समिति के सदस्य की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से अढाई वर्ष होगी और वह पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र होगा ।

44—घ. वार्ड समितियों की बैठकें.— अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित वार्ड के विकासात्मक मामलों और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कम से कम दो मास में एक बार वार्ड समिति की बैठकों का आयोजन करे।

44—ङ. कार्यसूची.—अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वार्ड समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करे ।

44—च. वार्ड समिति की बैठकों के संचालन हेतु प्रकिया.—वार्ड समिति की बैठकों का संचालन करते हुए निम्नलिखित प्रकिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) वार्ड समिति बैठकों की युक्तियुक्त सूचना (नोटिस) कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी और निगम और सम्बद्ध वार्ड के कार्यालय में सूचना पट्ट पर रखी जाएगी ।

(ii) वार्ड समिति बैठकों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखे जाएंगे और वह वार्ड समिति के कार्यालय में जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

(iii) ये कार्यवृत्त वार्ड समिति की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे ।

44—छ. निरर्हताएं.—यदि कोई सदस्य वार्ड समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को हटाए जाने हेतु वार्ड सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए संकल्प ला सकेगा । ऐसे

संकल्प के अनुमोदन पर, ऐसा सदस्य वार्ड समिति से हटाया गया समझा जाएगा और उसके स्थान पर वार्ड सभा किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी।

44—ज. वार्ड समिति के कर्त्तव्य और कृत्य.— वार्ड समिति निम्नलिखित कर्त्तव्य और कृत्यों का निर्वहन और पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) वार्षिक वार्ड योजना तैयार करना और उसे निगम की वार्षिक योजना के साथ एकीकरण के लिए निगम को अग्रेषित करना;

(ख) सम्बद्ध वार्ड के लिए निगम द्वारा अनुमोदित विभिन्न विकासात्मक स्कीमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) वार्ड में ठोस कचरा प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना;

(घ) वार्ड में स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना ;

(ङ) वार्ड के लिए विकासात्मक स्कीम (में) तैयार करने में और उनके प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना;

(च) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों के लोगों के मध्य सौहार्द और एकता को प्रोत्साहन देना;

(छ) वार्ड से सम्बन्धित विकासात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना;

(ज) विकासात्मक और कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा (खेलकूद) गतिविधियों और खेलों को प्रोत्साहित करना;

(ञ) निगम के विकासात्मक क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;

(ट) सम्बद्ध वार्ड के भीतर सामुदायिक जल नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयों और ऐसी अन्य सार्वजनिक सुख–सुविधा स्कीमों का सुझाव देना;

(ठ) वार्ड में जल प्रदाय और गली लाइटिंग (प्रकाश) व्यवस्थाओं में कमियों को परिलक्षित करना और उपचारी उपायों का सुझाव देना;

(ड) निगम को देय करों, फीसों और अन्य बकायों के सामयिक संग्रहण हेतु निगम प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देना ;

(ढ) प्रस्ताव / योजनाएं तैयार करना और वार्ड में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों और विकासात्मक कार्यक्रमों की प्राथमिकता अवधारित करना;

(ण) वार्ड सभा के भीतर अधिक व्यवस्थित तरीके से पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए समग्र पर्यावरणीय स्थिति में सुधार / उन्नयन करना; और

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे निगम द्वारा समुनुदेशित किए जाएं ।

44–झ. सूचना प्राप्त करने का अधिकार.–(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को वार्ड से सम्बन्धित किसी भी मामले पर आयुक्त से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) वार्ड समिति अपने पास विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत कालिक रिर्पोटें निगम को प्रस्तुत करेगी ।

44–ञ. आयुक्त के कृत्य.– आयुक्त किसी सरकारी अनुदेश या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में वार्ड समिति का कोई कार्य या पारित संकल्प निगम के ध्यान में लाएगा :

परन्तु यदि ऐसा कार्य या लोप पन्द्रह दिन के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है, तो आयुक्त ऐसे लोप या उल्लंघन को राज्य सरकार के ध्यान में लाएगा ।

धारा 54 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) आम निर्वाचन के पश्चात् निगम की प्रथम बैठक यथाशीघ्र बुलाई जाएगी परन्तु न कि धारा 13 के अधीन निगम के निर्वाचनों के परिणामों के प्रकाशन से तीस दिन के पश्चात् ।"; और

(ख) उपधारा (2) और (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 56 और 58 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 56 में, "पार्षद्" तथा "सभी पार्षदों" शब्दों से पूर्व "महापौर और उप–महापौर सहित " शब्द तथा धारा 58 में "सदस्यों के" शब्दों के स्थान पर "महापौर और उप–महापौर सहित पार्षदों तथा "कम से कम चार पार्षदों" शब्दों से पूर्व "महापौर और उप–महापौर सहित" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 413 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 413 में,–

(क) "पार्षदों का दायित्व शीर्षक के स्थान पर", "महापौर, उप–महापौर और पार्षदों का दायित्व" शीर्षक रखा जाएगा। ; और

(ख) उपधारा (1) में "प्रत्येक पार्षद् तथा पार्षद्" शब्द, जहां–जहां ये आते हैं के स्थान पर, "महापौर, उप–महापौर और पार्षद्" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 414 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 414 में, "प्रत्येक पार्षद्" शब्दों के स्थान पर "महापौर, उप–महापौर और पार्षद्" शब्द रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 11 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 25TH MAY, 2010)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. In sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act') , for the word "Councillor" wherever it occur, the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor" shall be substituted. Amendment of section 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426.

3. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Councillor shall be called in question except by an election petition presented to the Revenue Commissioner'', the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor shall be called in question except by any election petition presented to the Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 14.

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:— Amendment of section 34.

"(f) he has without reasonable cause in the opinion of the State Government fails to convene more than three consecutive meetings of the Ward Committee.".

5. After section 34 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 34-A.

"34-A. Removal of Mayor and Deputy Mayor.- The Government may, by notification published in the Official Gazette, remove the Mayor and Deputy Mayor, if in its opinion—

(i) he becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 8; or

(ii) he has flagrantly abused his position as a Mayor or Deputy Mayor or has through negligence or misconduct or responsible for the loss or mis-appropriation of any money or property of the Corporation; or

(iii) he has become physically or mentally incapacitated for performing his duties as a Mayor or Deputy Mayor; or

(iv) he absents himself during three successive months from the meetings of the Corporation :

Provided that before making an order under this section, reasonable opportunity shall be given to the Mayor, Deputy Mayor, as the case may be, to be heard and to show cause against such an order.".

Amendment of section 36.

6. In section 36 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected directly by an electoral college consisting of all eligible electorates of all the wards of Municipal Corporation.";

(b) in the existing first proviso, for the words "the office of the Mayor", the words "during the duration of the Corporation the office of the Mayor and Deputy Mayor" shall be substituted. ; and

(c) for sub-section (2) and existing first proviso, the following sub-section and proviso shall be substituted, namely :—

"(2) The term of the office of Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five year from the date of his election,

and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death or resignation, a fresh election within a period of six months of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period: '' .

Omission of section 37.

7. Section 37 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 39.

8. In section 39 of the principal Act,—

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if the office of the Deputy Mayor is vacant, then the Mayor may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District.";

(b) after sub-section(2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if the office of the Mayor is vacant, then the Deputy Mayor may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District."; and

(c) in sub-section (3), after the words "or Deputy Mayor," the words "or the Deputy Commissioner" shall be inserted.

Insertion of new sections 44-A to 44-J.

9. After section-44 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely :—

"44-A. Ward Sabha .—All persons comprised in the electoral roll of a ward shall constitute the Ward Sabha for the purposes of this Act.

44-B. Meetings of Ward Sabha .— (1) There shall be two meetings of the Ward Sabha in a year. The meeting shall be convened by the elected ward Councillor at a public place after public notice alongwith agenda.

(2) The officer, to be nominated by the Commissioner, shall be the Secretary of the Ward Sabha. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Sabha shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Commissioner.

44-C. Ward Committee .— (1) There shall be a Ward Committee for each ward in the Corporation to be constituted within six months of the constitution of Corporation.

(2) Each Ward Committee shall consist of a President and not exceeding nine eminent members, to be nominated by the Ward Sabha.

(3) The elected Ward Councillor representing that ward shall be the President of the Ward Committee :

Provided that at least fifty per cent seats of members of the Ward Committee shall be reserved for women.

Explanation.— For the purposes of this section, "eminent member" of Ward Sabha means any person or a representative of a non-government organization or an association or a community based organization working for or representing any section of civil society in fields such as environment, social welfare, rural development, health, culture, business, trade etc.

(4) A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Ward Committee under sub-section (2) or to continue as such if, under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, he is disqualified for being elected as a member of the Corporation.

(5) The Secretary of the ward Sabha shall also be the Secretary of the Ward Committee. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Committee shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Corporation.

(6) The term of office of the member of the Ward Committee shall be two and half years from the date of nomination and he shall be eligible for re-nomination.

44-D. Meetings of Ward Committees . - It shall be the duty of the President to conduct meetings of the ward Committee at least once in two months for discussing the developmental issues and plans of the ward concerned.

44-E. Agenda .- It shall be the duly of the President to set agenda for the meetings of the Ward Committee .

44-F. Procedure for conduct of Ward Committee meetings.— Following procedure shall be followed while conducting meetings of the Ward Committee, namely:-

(i) reasonable notice of the Ward Committee meetings shall be given at least one week in advance and placed on the notice board in the office of Corporation and in the ward concerned;

(ii) minutes of the Ward Committee meetings shall be maintained by the Secretary and the same shall be made available to the general public for perusal at the office of the Ward Committee; and

(iii) the minutes shall be presented at the next meeting of the Ward Committee for confirmation.

44-G. Disqualifications .— If a Member fails to attend three consecutive meetings of the Ward Committee, then the President may bring a resolution before the Ward Sabha, for removal of such member, for its approval. On approval of such resolution, such member shall stand removed from the Ward Committee and in his place, the Ward Sabha may nominate another person.

44-H. Duties and functions of the Ward Committee.— The Ward Committee shall discharge and perform the following duties and functions, namely:—

(a) to prepare annual ward plan and forward the same to the Corporation for its integration with annual plan of the Corporation;

(b) to ensure proper implementation of various developmental schemes approved by the Corporation for the concerned ward;

(c) to provide assistance in solid waste management in the ward;

(d) to supervise sanitation work in the ward;

(e) to provide assistance for the preparation and encouragement of the developmental scheme(s) for the ward;

(f) to encourage harmony and unity among various groups of people in the ward;

(g) to provide assistance in the implementation of developmental schemes relating to the ward;

(h) to provide assistance for identification of beneficiaries for the implementation of development and welfare schemes;

(i) to encourage art and cultural activities and sports activities and games;

(j) to ensure people's participation in the voluntary activities necessary for successful implementation of the developmental activities of the Corporation;

(k) to suggest community water taps, public wells, public sanitation units, and such other public amenity schemes within the ward concerned ;

(l) to identify the deficiencies in the water supply and street lighting arrangements in the ward and suggest remedial measures;

(m) to render necessary assistance to the Corporation Authorities for timely collection of taxes, fees and other arrears due to the Corporation;

(n) to generate proposals/plans and determine the priority of scheme and developmental programmes to be implemented in the Ward;

(o) to improve / promote the overall environment situation by integrating environmental considerations more systematically within the Ward Sabha: and

(p) to perform such other functions as may be assigned to it by the Corporation .

44-I. Right to seek information .- (1) The President and the members of the Ward Committee shall have the right to seek information from the Commissioner, on any matter relating to the ward ;

(2) The Ward Committee shall submit periodical reports to the Corporation in respect of the matters specified theirin.

44-J. Function of the Commissioner.— The Commissioner shall bring to the notice of the Corporation any act or resolution of the Ward Committee which is done or passed in contravention of any of the Government instructions or the provisions of this Act ; provided that if such act or omission is not rectified within 15 days, the Commissioner shall bring such omission or violation to the notice of the State Government.".

Amendment of section 54.

10. In section 54 of the principal Act—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(1) The first meeting of the Corporation, after general election, shall be held as early as possible but not later than 30 days after the publication of the results of elections of Corporation under section 13." ; and

(b) sub-sections (2) and (3) shall be omittted.

Amendment of section 56 and 58.

11. In sections 56 and 58 of the principal Act, after the word "Councillors" wherever it occur, the words "including Mayor and Deputy Mayor" shall be inserted.

Amendment of section 413

12. In section 413 of the principal Act ,—

(a) for the heading "Liability of Councillors", the heading "Liability of Mayor, Deputy Mayor and Councillors" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (1), for the word "Councillor" wherever it occur, the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor" shall be substituted.

Amendment of section 414.

13. In section 414 of the principal Act, for the words "Every Councillors", the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and Councillor" shall be substituted.

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 मई, 2010

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–12 / 2010–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25–05–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 9) कावर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण में प्रकाशित करते हैं)

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव ।

2010 का अधिनियम संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 25 मई, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 10 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 10 में,––

(क) उपधारा (1) में, ''नगरपालिकाओं में'' शब्दों के पश्चात् ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, ''नगरपालिका में'' शब्दों के पश्चात् ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,––

धारा 11 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, ''सीधे निर्वाचन द्वारा'' शब्दों के पश्चात् ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए स्थान को छोड़कर'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थान के लिए आरक्षण धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।''।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, ''सदस्यों'' या ''सदस्य'' शब्द, जहां–जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''यदि नगरपालिका के'' शब्दों के पश्चात् ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 में,––

(क) उपधारा (1) में, ''अधिसूचना द्वारा नगरपालिका के'' शब्दों के पश्चात् ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) परन्तुक में, ''परन्तु'' शब्द के पश्चात् ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ज) वह राज्य सरकार की राय में बिना युक्तियुक्त हेतुक के वार्ड समिति की तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकें आयोजित करने में विफल रहा है ।''।

धारा 19 और 21 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 और 21 की उपधारा (1) में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''पदाधिकारी'' शब्द रखा जाएगा ।

धारा 22 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''22. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन.––अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर

पंचायत के समस्त वार्डों के समस्त पात्र मतदाताओं से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा सीधे निर्वाचन होंगे :

परन्तु नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला के लिए आरक्षित होगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद उसके पदावधि के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाऐ जाने के कारण रिक्त होता है तो शेष अवधि के लिए उसी वर्ग से नया निर्वाचन करवाया जाएगा।''।

धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, ''सदस्य के रूप में'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 24 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 में,––

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।''।;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला के उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकेगा ।''।; और

(ग) उपधारा (3) में ''या अध्यक्ष'' शब्दों के पश्चात् ''या उपायुक्त'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा ।

धारा 27 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 27 में,–

(क) उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में, ''और कोई भी सदस्य'' शब्दों के स्थान पर ''और कोई भी पदाधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात्:–

''(2) किसी भी पदाधिकारी का प्रत्येक निर्वाचन, ऐसे निर्वाचन की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । ''।

नई धाराओं 51–क से 51–ञ का अन्तःस्थापन

13. मूल अधिनियम की धारा 51 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

''51–क. वार्ड सभा.––इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वार्ड के निर्वाचक नामावली में समाविष्ट समस्त व्यक्तियों से वार्ड सभा गठित होगी।

51–ख. वार्ड सभा की बैठकें.––(1) वार्ड सभा की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी । बैठक, कार्यसूची सहित लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचित वार्ड सदस्य द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(2) यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी वार्ड सभा का सचिव होगा । वार्ड सभा की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसके द्वारा, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव को अग्रेषित की जाएगी ।

51–ग. वार्ड समिति.––(1) नगर पालिका के गठन के छह मास के भीतर गठित की जाने वाली नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी ।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति एक अध्यक्ष और वार्ड सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले नौ से अनधिक विख्यात सदस्यों से गठित होगी ।

(3) उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित वार्ड सदस्य, वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा :

परन्तु वार्ड समिति के सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वार्ड सभा के ''विख्यात सदस्य'' से सिविल सोसाइटी के किसी वर्ग जैसे कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, कारबार, व्यापार आदि के क्षेत्रों में कार्यरत या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन या किसी संगम या समुदाय आधारित संगठन का कोई व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि अभिप्रेत है।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन वार्ड समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने के लिए या इस प्रकार निरन्तर बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वह नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निरर्हित है ।

(5) वार्ड सभा का सचिव, वार्ड समिति का सचिव भी होगा । वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उस द्वारा नगरपालिका को अग्रेषित की जाएगी ।

(6) वार्ड समिति के सदस्य की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से अढ़ाई वर्ष होगी और वह पुनः नानिर्देशन हेतु पात्र होगा ।

51–घ. वार्ड समितियों की बैठकें.––अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित वार्ड के विकासात्मक मामलों और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कम से कम दो मास में एक बार वार्ड समिति की बैठकों का आयोजन करे।

51–ड़. कार्यसूची.––अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वार्ड समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करे।

51–च. वार्ड समिति की बैठकों के संचालन हेतु प्रकिया.––वार्ड समिति की बैठकों का संचालन करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्:––

(i) वार्ड समिति बैठकों की युक्तियुक्त सूचना (नोटिस) कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी और नगरपालिका और सम्बद्ध वार्ड के कार्यालय में सूचना पट्ट पर रखी जाएगी ।

(ii) वार्ड समिति बैठकों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखे जाएंगे और वह वार्ड समिति के कार्यालय में जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(iii) ये कार्यवृत्त वार्ड समिति की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे ।

51–छ. निरर्हताएं.–– यदि कोई सदस्य वार्ड समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को हटाए जाने हेतु वार्ड सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए संकल्प ला सकेगा । ऐसे संकल्प के अनुमोदन पर, ऐसा सदस्य वार्ड समिति से हटाया गया समझा जाएगा और उसके स्थान पर वार्ड सभा किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी।

51–ज. वार्ड समिति के कर्त्तव्य और कृत्य.––वार्ड समिति निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन और पालन करेगी, अर्थात्:––

(क) वार्षिक वार्ड योजना तैयार करना और उसे नगरपालिका की वार्षिक योजना के साथ एकीकरण के लिए नगरपालिका को अग्रेषित करना;

(ख) सम्बद्ध वार्ड के लिए नगरपालिका द्वारा अनुमोदित विभिन्न विकासात्मक स्कीमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) वार्ड में ठोस कचरा प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना;

(घ) वार्ड में स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना ;

(ङ) वार्ड के लिए विकासात्मक स्कीम (में) तैयार करने में और उनके प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना;

(च) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों के लोगों के मध्य सौहार्द और एकता को प्रोत्साहन देना;

(छ) वार्ड से सम्बन्धित विकासात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना;

(ज) विकासात्मक और कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा (खेलकूद) गतिविधियों और खेलों को प्रोत्साहित करना;

(ञ) नगरपालिका के विकासात्मक क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;

(ट) सम्बद्ध वार्ड के भीतर सामुदायिक जल नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयों और ऐसी अन्य सार्वजनिक सुख–सुविधा स्कीमों का सुझाव देना;

(ठ) वार्ड में जल प्रदाय और गली लाइटिंग (प्रकाश) व्यवस्थाओं में कमियों को परिलक्षित करना और उपचारी उपायों का सुझाव देना;

(ड) नगरपालिका को देय करों, फीसों और अन्य बकायों के सामयिक संग्रहण हेतु नगरपालिका प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देना;

(ढ) प्रस्ताव/योजनाएं तैयार करना और वार्ड में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों और विकासात्मक कार्यक्रमों की प्राथमिकता अवधारित करना;

(ण) वार्ड सभा के भीतर अधिक व्यवस्थित तरीके से पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए समग्र पर्यावरणीय स्थिति में सुधार/उन्नयन करना; और

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे नगरपालिका/निगम द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

51–झ. सूचना प्राप्त करने का अधिकारी.––(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को वार्ड से सम्बन्धित किसी भी मामले पर, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) वार्ड समिति अपने पास विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत कालिक रिर्पोटें नगरपालिका को प्रस्तुत करेगी ।

51–ञ. कार्यकारी अधिकारी और सचिव के कृत्य.––कार्यकारी अधिकारी या सचिव, यथास्थिति, किसी सरकारी अनुदेश या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में वार्ड समिति का कोई कार्य या पारित संकल्प नगरपालिका के ध्यान में लाएगा :

परन्तु यदि ऐसा कार्य या लोप पन्द्रह दिन के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है, तो यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव ऐसे लोप या उल्लंघन को राज्य सरकार के ध्यान में लाएगा । ''।

धारा 272 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्.––

''(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के निलंबित होने की दशा में, राज्य सरकार नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से एक, जो आयु में वरिष्ठतम हो, को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए नामनिर्देशित करेगी , और ऐसा व्यक्ति निलंबन की अबधि के जारी रहने के दौरान, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समस्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा । ''।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 25TH MAY, 2010)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (hereinafter referred to as the "principal Act"),— Amendment of section 10.

(a) in sub-section (1), after the words and sign "consist of," the words and signs "President, Vice-President and" shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), after the words "in that municipality", the words and sign "including the President and the Vice-President" shall be inserted; and after sub-clause (ii) of clause (a) of this sub-section, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the President and Vice-President shall be elected in accordance with provisions of section 22.".

3. In section 11 of the principal Act,— Amendment of section 11.

(a) in sub-section (1), after the words "by direct election", the words "excluding the seat for President and Vice-

President" shall be inserted, and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that reservation for seat of President and Vice-President shall be made in accordance with the provisions of section 12.".

Amend-ment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, for the word "members" wherever it occur, the words and signs "President, Vice-President and members" shall be substituted.

Amend-ment of section 17.

5. In section 17 of the principal Act, after the words "who is chosen as a", the words and signs "President or Vice-President or a" shall be inserted.

Amend-ment of section 18.

6. In section 18 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words and sign "by notification, remove", the words and signs "President or Vice-President or" shall be inserted; and

(b) In proviso, after the words "no removal of a", the words and signs "President or Vice-President or" shall be inserted.

In section 18 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

"(h) he has without reasonable cause in the opinion of the State Government fails to convene more than three consecutive meetings of the Ward Committee.".

Amend-ment of sections 19 and 21.

7. In sections 19 and 21 of the principal Act, for the word "member" wherever it occur, the words "office bearer" shall be substituted.

Substitution of section 22.

8. For section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"22. Election of President and Vice-President.—There shall be direct elections for the President and Vice-President by an electoral college consisting of all eligible voters of all the wards of Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be :

Provided that the office of President and Vice-President in Municipal Councils and Nagar Panchayats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and woman in accordance with the provisions of section12:

Provided further that if the office of the President or Vice-President is vacated during his tenure on account of death, resignation or removal, a fresh election for the remainder of the period shall be held from the same category.".

Amendment of section 23.

9. In section 23 of the principal Act, in sub-section (1), the words "as a member" shall be deleted.

Amendment of section 24.

10. In section 24 of the principal Act,—

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the office of the Vice-President is vacant, then the President may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District.";

(b) after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the office of the President is vacant, then the Vice-President may submit his resignation to the Deputy Commissioner of the District."; and

(c) In sub-section (3), after the words "or the President", the words "or the Deputy Commissioner" shall be inserted.

Omission of section 25.

11. Section 25 of the principal Act shall be omitted.

Amend-ment of section 25.

12. In section 27 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "and no member", the words "and no office bearers" shall be substituted.; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) Every election of a office bearer shall be published in the Official Gazette by the State Election Commission within 30 days from the date of declaration of such election.".

Insertion of new section 51-A to 51-J.

13. After section-51 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely :—

"51-A. Ward Sabha.—All persons comprised in the electoral roll of a ward shall constitute the Ward Sabha for the purposes of this Act.

51-B. Meetings of Ward Sabha.—(1) There shall be two meetings of the Ward Sabha in a year. The meeting shall be convened by the elected ward Member at a public place after public notice alongwith agenda.

(2) The officer, to be nominated by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall be the Secretary of the Ward Sabha. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Sabha shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the Executive Officer or Secretary, as the case may be.

51-C. Ward Committee.—(1) There shall be a Ward Committee for each ward in the Municipality to be constituted within six months of the constitution of municipality.

(2) Each Ward Committee shall consist of a President and not exceeding nine eminent members, to be nominated by the Ward Sabha.

(3) The elected Ward Member representing that ward shall be the President of the Ward Committee:

Provided that at least fifty per cent seats of members of the Ward Committee shall be reserved for women.

Explanation.—For the purposes of this section, "eminent member" of Ward Sabha means any person or a representative of a non-government organization or an association or a community based organization working for or representing any section of civil society in fields such as environment, social welfare, rural development, health, culture, business, trade etc.

(4) A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Ward Committee under sub-section (2) or to continue as such if, under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, he is disqualified for being elected as a member of municipality.

(5) The Secretary of the Ward Sabha shall also be the Secretary of the Ward Committee. The minutes of the proceedings of the meetings of the Ward Committee shall be recorded by the Secretary and a copy of minutes of the proceedings of each meeting shall be forwarded by him to the municipality.

(6) The term of office of the member of the Ward Committee shall be two and half years from the date of nomination and shall be eligible for re-nomination.

51-D. Meetings of Ward Committee.—It shall be the duty of the President to conduct meetings of the Ward Committee at least once in two months for discussing the developmental issues and plans of the ward concerned.

51-E. Agenda.—It shall be the duly of the President to set agenda for the meetings of the Ward Committee.

51-F. Procedure for conduct of Ward Committee meetings.— Following procedure shall be followed while conducting meetings of the Ward Committee, namely:—

(i) reasonable notice of the Ward Committee meetings shall be given at least one week in advance and placed on the notice board in the officer of the municipality and in the ward concerned;

(ii) minutes of the Ward Committee meetings shall be maintained by the Secretary and the same shall be made available to the general public for perusal at the office of the Ward Committee; and

(iii) the minutes shall be presented at the next meeting of the Ward Committee for confirmation.

51-G. Disqualifications.—If a Member fails to attend three consecutive meetings of the Ward Committee, then the President may bring a resolution before the Ward Sabha, for removal of such member, for its approval. On approval of such resolution, such member shall stand removed from the Ward Committee and in his place, the Ward Sabha may nominate another person.

51-H. Duties and functions of the Ward Committee.—The Ward Committee shall discharge and perform the following duties and functions, namely :—

(a) to prepare annual ward plan and forward the same to the municipality for its integration with annual plan of the municipality;

(b) to ensure proper implementation of various developmental schemes approved by the municipality for the concerned ward;

(c) to provide assistance in solid waste management in the ward;

(d) to supervise sanitation work in the ward;

(e) to provide assistance for the preparation and encouragement of the developmental scheme(s) for the ward;

(f) to encourage harmony and unity among various groups of people in the ward;

(g) to provide assistance in the implementation of developmental schemes relating to the ward;

(h) to provide assistance for identification of beneficiaries for the implementation of development and welfare schemes;

(i) to encourage art and cultural activities and sports activities and games;

(j) to ensure people's participation in the voluntary activities necessary for successful implementation of the developmental activities of the municipality;

(k) to suggest community water taps, public wells, public sanitation units, and such other public amenity schemes within the ward concerned;

(l) to identify the deficiencies in the water supply and street lighting arrangements in the ward and suggest remedial measures;

(m) to render necessary assistance to the municipality Authorities for timely collection of taxes/fees and other arrears due to the municipality;

(n) to generate proposals/plans and determine the priority of scheme and developmental programmes to be implemented in the ward;

(o) to improve/promote the overall environment situation by integrating environmental considerations more systematically within the ward Sabha; and

(p) to perform such other functions as may be assigned to it by the municipality.

51-I. Right to seek information.—(1) The President and the members of the Ward Committee shall have the right to seek information from the Executive Officer or Secretary, as the case may be, on any matter relating to the ward.

(2) The Ward Committee shall submit periodical reports to the municipality in respect of the matters specified theirin.

51-J. Functions of the Executive Officer and Secretary.—The Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall bring to the notice of the municipality any act or resolution of the Ward Committee which is done or passed in contravention of any of the Government instructions or the provisions of this Act; provided that if such act or omission is not rectified within 15 days, the Executive Officer or Secretary, as the case may be, shall bring such omission or violation to the notice of the State Government.".

Amendment of section 272.

14. In section 272 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) In the event of both the President and the Vice-President of a municipality being suspended under sub-section (1) or sub-section (2), the State Government shall nominate one of the elected members of the municipality who is senior most in age, to hold the office of President or Vice-President, as the case may be, and such person shall perform all the duties and exercise all the powers of President or Vice-President, as the case may be, during the period for which suspension continues.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित